न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
विविध प्रा0पत्र सं0 490/16
फैसला दिनांक:–19.06..2018

1. छीतर पुत्र हीरा जाति बलाई नि0 खतवाड़ी कला तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. प्रभातीदेवी पत्नि सीताराम जाति स्वामी नि0 नया बास दूदू हाल नि0 खतवाड़ी कला तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
2. छीतर पुत्र गंगला
3. जोधा पुत्र गंगला
4. देवीलाल पुत्र काना
5. कालू पुत्र काना
6. मंजू पुत्री काना
7. रूकमा पुत्री काना

समस्त जाति बलाई नि0 खतवाड़ी कला तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र 251 ए रा0टी0ऐक्ट</u>

निर्णय

संक्षिप्त में वाकयात इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खं0नं0 575 रकबा 15 बीघा 6 विस्वा वाकै ग्राम खतवाड़ी कला तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थी के कब्जेंकाश्त व खातेदारी की आराजीयात है उक्त आराजी में आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थी के पास नहीं है तथा प्रार्थी आयेदिन अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु परेशान होता है तथा अपनी उक्त आराजीयात पर काश्त हेतु टेक्ट्रर व अन्य साधन लाने ले जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जिस कारण से प्रार्थी आयेदिन हैरान व परेशान रहता है तथा खं0नं0 580 रकबा 7 बीघा 10 विस्वा अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि है इसलिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र दक्षिणी सीमा मार्क ए से बी खं0नं0 580 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा में से 15 फुट चौड़े रास्ते का

खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकोर्ड में अंकित करने हेतु पेश किया है प्रार्थी के पास अपनी आराजी में आवागमन करने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से लोकेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार फुलेरा की ओर से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्तें के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मय नक्शा प्राप्त हुयी जो शामिल पत्रावली की गयी। पक्षकारान को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया तो अप्रार्थी ने बताया कि पड़ौसी खातेदार जो हितबद्व है को पक्षकार कायम नहीं किया गया है पत्रावली के अवलोकन से संतुष्ट होकर कर प्रार्थी को पक्षकार कायम करने के आदेश दिये जिस पर वकील प्रार्थी ने प्रा0पत्र आर्डर 1 रूल 10 जा0दी0 का पेश किया जो स्वीकार होने पर संशोषित शीर्षक पेश किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र सिनोदिया में पेश हुयी। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के वकील तथा अप्रार्थी स0 2 उपस्थित आया। मजमेंआम में सुना जाकर समझाईश की गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारान की बहस सुनी गयी एंव रास्तें की मौका रिपोर्ट मय नक्शा तहसीलदार फुलेरा का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य साफ जाहिर है कि प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 575 रकबा 15 बीघा 6 विस्वा वाकै ग्राम खतवाड़ी कला तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थी के कब्जेंकाश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसमें आने जाने का कोई रास्ता प्रार्थी के पास नहीं है एंव उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 580 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा जो कि अप्रार्थीगण की काश्त की भूमि है जिसमें से प्रार्थीगण के पास अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खं0नं0 580 के दक्षिणी सीमा पंर ए से बी 15 फुट चौड़ा रास्तें के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व नजदीकी व सुलभ रास्ता आने जाने हेतु उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 580 के दक्षिणी सीमा पर मार्क ए से बी 10 (फुट) चौड़ा रास्ता आने जाने हेतु दिया जाना न्यायोचित पाता हूँ इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अधिकारी
र लेक

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फुलेरा को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 575 रकबा 15 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम खतवाड़ी कला तह0 फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है पर आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 580 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सिनोदिया तह0 फुलेरा के दक्षिण सीमा पर मार्क ए से बी 10 फुट चौड़ा रास्ता दिया जाता है इसलिए तहसीलदार फुलेरा की रिपोर्ट दिनांक 06.04.17 के मुताबिक डी0एल0सी0 की दुगुनी राशि प्रार्थी से जमा कर रास्तें को राजस्व रिकोर्ड व नक्शें में दर्ज करें तथा सम्बन्धित अप्रार्थीगण को जमा राशि का उनके रिकोर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार भुगतान करें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र के संलग्न नक्शा निर्णय का अंग रहेगा। इस बाबत तहसीलदार फुलेरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प सिनोदिया मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप.खण्ड अधिकारी
सांभर लेक